

18-12-24

अभिभाषक पत्रों उपस्थित । रेस्टोरेशन
पार्थना पत्र पर बहस सुनी गई । हमने
रेस्टोरेशन पार्थना पत्र का अवलोकन किया
तथा उपलब्ध दस्तावेज का विश्लेषण एवं
बहस पर मनन किया । रेस्टोरेशन पार्थना
पत्र, शपथ पत्र एवं पार्थना पत्र धारा-5
काबूत अधिनियमों में शपथ पत्र तथा बहस
के किये गये कथनों के आधार पर न्यायद्वारा
मे रेस्टोरेशन पार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश
दिनांक 27-08-2024 को रिकॉल किया जाकर
अपील को रेस्टोर किया जाता है । रेस्टोरेशन
पार्थना पत्र नम्बर से कम होकर मूल
अपील के साथ सलग्न हो।

40-
अतिरिक्त सहायक आयुक्त
बीकानेर